सं0 636 / V-श0वि0-06-476(सा0) / 04-टी0सी0

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभागः देहरादूनः दिनांक-15 मार्च, 2006

विषय : लक्ष्मण चौक, विधान सभा क्षेत्र, देहरादून के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप अवस्थापना विकास निधि से विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष-2005-06 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यो हेतु प्रस्तुत रू0-184.80 लाख की लागत के आगणन विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0-184.41 लाख (रूपये एक करोड़ चौरासी लाख इकतालिस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 92.20 लाख (अर्थात् रूपये बयानबे बीस पचास हजार मात्र) को व्यय आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर नगर निगम देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यो पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

4- नगर निगम द्वारा उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून एवं सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

5- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

6– कार्यदायी संस्था का निर्धारण शासनादेश सं0 452/XXVII(1)/2005 दि0 0
अप्रैल,2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

7– यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या करा
जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की ज
रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देक
आवश्यक धनराशि शासन को 31–3–2006 तक समर्पित कर दी जायेगी।

8– कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना क
लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय,पूर्ण करने क
समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना क
लागत से ही लगाया जायेगा। कार्य होने की पुष्टि में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व व पू
करने के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा ई0ओ0 के माध्यम से निदेशक को कार्य के चि
लेकर प्रेषित किया जायेगा।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथाआवश्यकता ही किश्त
में आहरण किया जायेगा।

10– सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश
के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते
तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत क
जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा ती
किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये ज
कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

11– आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वा
स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमो
आवश्यक होगा।

12– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रे
किया जायेगा।

13– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टी के मध्यनजर रखते हुए
लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कर
समय पालन करना सुनिश्चित् करें।

14– विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधिशा
अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो का स्थल निरीक्ष
उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य कि
जायेंगे।

15– निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लि
जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

16– शासनादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौति
प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपल
करा दिया जाये।

17– शासन द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है कि सी.सी. सड़कें के बजाय टाई
की सड़कें बनाई जायेंगी अतः उपरोक्त धनराशि व्यय करने से पूर्व लोक निर्माण विभ
से टाईल्स सड़कों का पुनरीक्षित आगणन भी शासन को सहमति हेतु प्रस्तुत कर दि
जाय।

18– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2005–06 के आय–व्ययक के अनुदा सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों क समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापन सुविधाओं का विकास–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

19– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0– 526/XXVII(2)/2006, दिनांक– 25 मा 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

सं0 636 (1)/V-श0वि0–06,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
7– मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग) को उनके पत्र संख्या 300/XXXV-I-172घोषणा/2004, दिनांक 03–07–2004 के कमांक–3 के क्रम में इस आशय से प्रेषित की मा0 मुख्यमंत्री जी की उक्त घोषणा को पूर्ण मान लिया जाय।
8– मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
9– अधीक्षण अभियंता, 24वीं वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून, निर्माण खण्ड, देहरादून।
10– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या 636/V–श0वि0–06–476(सा0)/04, दिनांक 25 मार्च, 2006 का संलग्नक ।

(धनराशि लाखरूपये में)

क0सं0	कार्य का नाम	आगणन लागत	की अनुमोदित आगणन /स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत धनराशि
01	निरंजनपुर मलिन बस्ती क्षेत्र के आन्तरिक मार्ग का निर्माण	8.93	8.90	4.45
02	शास्त्रीनगर खाले में मलिन बस्ती एवं जी0एम0एस0 रोड के आस–पास मार्ग निर्माण	59.79	59.70	29.85
03	कावली क्षेत्र में मलिन बस्ती के मार्गो का निर्माण	27.48	27.40	13.70
04	मलिन बस्ती गांधीग्राम के अवशेष आन्तरिक मार्गों का निर्माण	39.98	39.90	19.95
05	माजरा क्षेत्र के आन्तरिक मलिन बस्ती मार्गों का निर्माण एवं सी–ब्लाक, रेसकोर्स मलिन बस्ती मार्गों का निर्माण	48.62	48.51	24.25
	कुल योग–	184.80	184.41	92.20

(रूपये बयानबे लाख बीस हजार मात्र)

[illegible]
([illegible])